BBDNITM/BBDNIIT/BBDEC /BBDU NOTICE

June 30, 2017

REGARDING- Scholarship Facility to SC/ST Category Students studying in the Academic Year 2017-18

1. The eligible regular students of SC/ST categories "whose parental Total Annual Income does not exceed Rs.2 Lacs" are hereby informed to submit duly filled up Scholarship Application Form On-line from 1st July, 2017. Renewal/Fresh cases can be filled upto 1st November, 2017 as per the instructions of the Social Welfare Department, U.P. Government. The students who had applied for Scholarship and Tuition Fee Reimbursement in the Academic Year 2016-17 should fill their Scholarship Forms as "Renewal Case" and not as "Fresh Case" in the Academic Year 2017-18 otherwise their forms may be rejected.

The students are also required to fill in their Aadhar Card No. (as linked with their Bank Account No.) positively in their above Scholarship Forms.

The On-line Scholarship Form is available on the website https://scholarship.up.nic.in.

2. Detailed information regarding documents required is available on the following websites:-

BBDU - www.bbdu.ac.in
BBDNITM - www.bbdnitm.ac.in
BBDNIIT - www.bbdniit.ac.in
BBDEC - www.bbdec.ac.in

In case students need any clarification in this regard they may contact in the Scholarship Department (Room No. 301, 302 & 303, Admin. Block BBD Group, Lucknow).

NOTE:- The above Students may please note that if the required informations are not completely and correctly filled and the required documents are not attached with the Print-Out of the On-line Application Form to be deposited in the Scholarship Department, BBD Group, then their On-line Application Form shall not be forwarded to the Social Welfare Department, Govt. of U.P., Lucknow, for which the students shall be responsible themselves.

(Prof. (Dr.) S.M.K. Rizvi)
D.S.W & Chief Proctor
BBD Group

Copy to:

- 1. Staff Officer to Hon'ble Chairperson, BBD Group- for kind information of Hon'ble Chairperson, BBD Group.
- 2. Chief Executive Director, BBD Group—for kind information.
- 3. Registrar, BBD University & Director (Admin. & Coordn.), BBD Group.
- 4. Asst. Director (HR) & OSD to Hon'ble Chairperson, BBD Group.
- 5. All Directors/Dean/Chief Coordinators/ COEs/Head Corporate Relation/Dy. Registrar (Conf.)/Hods, BBD Group.
- 6. In-Charge/Head(T&P), BBD Group, Campus.
- 7. All Group Coordinator B.Tech, First Year BBDNITM/BBDNIT/BBDEC/BBDU.
- 8. Sr. Security Officer, BBD Group, Lucknow campus.
- 9. Librarian/Dy. Librarian/Asst. Librarian, BBDNITM/BBDNIIT/BBDEC/BBDU.
- 10. Accounts Department, BBD Group, Lucknow campus.
- 11. All Hostels, BBD Group, Lucknow campus.
- 12. All Notice Board, BBD Group.

(FOR SC/ST CATEGORY)

As per the instructions of Social Welfare Department, U.P. Government given in G.O. No. – 84/2016/R-755/26-3-2016-4(358)/07T.C.11 dated 14 April, 2016 following documents are required to be attached with the Online Scholarship Form by the Students of SC/ST Categories for the Academic Year 2017-18.

- 1. Photo copy of allotment letter issued by UPTU for admission in the Institute/University.
- 2. Self signed photo will be scanned and affixed on the Online Scholarship Form.
- 3. Attested Income Certificate alongwith the original one issued by the Competent Authority for verification alongwith copy of latest Internet Income Certificate generated from Website of U.P Govt.
- 4. Attested Caste Certificate alongwith the original one issued by Competent Authority for verification alongwith copy of latest Internet Caste Certificate generated from Website of U.P Govt.
- 5. Attested Domicile Certificate for Residential Proof alongwith the original one not older than five years from the date of admission issued by Competent Authority alongwith copy of latest Internet Domicile Certificate generated from Website of U.P Govt.
- 6. Photo copy of Pass-out Mark Sheet of Class X, XII and B.Tech or any other Course Ist Year/ IIInd Year/ IIIrd Year.
- 7. If the student is a hostler then the copy of the receipt of Hostel Fee is required to be attached.
- 8. Photo copy of Bank Passbook of Punjab National Bank, B.B.D.E.S. Campus Branch, Faizabad Road, Lucknow showing Savings Fund Bank Account Number of the student.
- 9. Non-Judicial Stamp of Rs. 10/- Notarized affidavit if there is a gap in between two classes.
- 10. An agreement on Non-Judicial Stamp Paper of Rs. 100/- (Annexure-"Kha") is required to be submitted by the student that the student shall return the amount of Tuition Fee reimbursement received through his or her Bank Account, to the institution within 15 days of its receipt.
- 11. A Debit Authority Letter duly signed by the student, authorizing the Bank in which he/she is having his/her Savings Bank Account (as mentioned in point No.-9) to debit the amount of Tuition Fee reimbursement sanctioned and remitted by the Social Welfare, Department U.P. Government under SC/ST Post-Matric Fee Reimbursement Scheme to transfer the said amount to the Institution's Bank Account maintained at the above Branch of Punjab National Bank.
- 12. An affidavit on Non-Judicial Stamp paper of Rs.10/- (Annexure-"Gha") by the Parents/Guardian that the income shown in the Income Certificate is from all the sources and there is no other source of income and also that if the income shown so is found incorrect in any enquiry, the signatory of the affidavit shall be responsible for the same.
- 13. An Affidavit by the student on Non-Judicial Stamp of Rs. 10/- (Annexure "Cha") giving his/her full particulars as required in above Annexure-"Cha" and mentioning that he/she is giving a separate Affidavit for gap period, if any.
- 14. Declaration that the annual income of his/her Parents/Guardian does not exceed the prescribed limit and he/she has been admitted in this institution without paying any Tuition Fee for the Academic Year 2017-18, and the details mentioned in the Certificate attached with the application form are true and correct. If any error/mistake is found therein he/she shall be responsible for it. (Annexure "Kha-1")
- 15. Aadhar Card No. should be mentioned in the Scholarship Forms.
- 16. Names of Student and Father/Mother /Guardian should be exactly with the same spelling details as are entered in the High School Certificate /Marksheet in all the 3 certificates i.e. Caste, Domicile & Income Certificates.
- 17. Copy of Student Search Record should accompany the Scholarship Form.
- 18. In Renewal Form cases Enrollment No. must be mentioned in the Scholarship Form.

सेवा में, जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण कार्यालय, विकास भवन, लखनऊ।

घोषणा पत्र

महोदय,				
मैं				
यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का छात्र/छात्रा हूँ तथा सत्र				
2017—18 में बी०बी०डी०ससंथान मेंकोर्स				
वर्ष में अध्यनरत हूँ। मैने सत्र 2017-18 में संस्थान में शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र दिया है। मेरे द्वारा				
शैक्षिक सत्र 2017—18 में कोई शिक्षण शुल्क संस्थान में जमा नहीं किया गया है। मेरे				
माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न				
प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर मैं स्वयं				
जिम्मेदार हूँगा / हूँगी।				
सधन्यवाद।				
छात्र का नाम –				
पिता/माता का नाम –				
पाठ्यक्रम – वर्ष –				
स्थायी पता —				
मो0 न0				

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र

समक्ष

संस्थाध्यक्ष

	मैजा ग्रामजा ग्रामजा					
मुहर	लाजनपदका निवासी हूँ, निम्नलिखित बयान करता हूँ:-					
1.	यह कि मैं ग्राम मुहल्ला तहसील जिला					
	उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (आय/जाति प्रमाण पत्र समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)					
2.	यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हूँ। (तहसीलदार द्वारा					
	प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)					
3.	. यह कि मेरे माता-पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इरासे क					
	है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)					
4.	यह कि सम्प्रति मैं बी०बी०डी० शैक्षिक संस्थान के पाठ्य क्रम में वर्ष					
	में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था A.K.T.U./U.G.C. विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।					
5.	यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने					
	पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा।					
6.	. यह कि मैंने पिछली परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के सम्बंध में अलग से घोषणा पत्र					
	औचित्य सहित प्रस्तुत है।					
7.	यह कि मुझे दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।					
8.	यह कि मेरा बचत खाता संख्या					
	शाखा में खुला हुआ है।					
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क / सशुल्क प्रवेश दिया गया है।						
	उक्त घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं।					
इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।						
दिन	मांकः					
	छात्र/छात्रा के हस्ताक्षरः					
	नामः					
	पिता / पति का नामः					
	प्रताः					

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र (रू० 100 / - के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह	अनुबंध पत्र आज दिनांकक	(1) कु0 / श्रीम	ती / श्री			
जाति	निवासी ग्राम/मु0	तहसील	जिला			
184	श्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।					
	Ų	i				
(2)	(संस्थाध्यक्ष) पता		जनार			
लखनऊ (ज	तहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/रा त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया	ज्य सरकार के	द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा			
संचालित है	त्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित , जिसकी पात्रता सम्बंधी शर्ते आदि उत्तर गोजना तृतीय संशोधन नियमावली 2014 में उ । शर्तों को स्वीकार करते हैं:—	प्रदेश दशमोत्त	र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति			
 द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा। 						
(अनुरक्षप	2. प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धारित समयाविध के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र समस्त वांछित अभिलेखों सिहत संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित प्रधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।					
3. द्वितीय कार्यवार्ह	 द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वाँछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा। 					
4. प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।						
5. प्रथम पर अनुपालन	5. प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्घारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।					
 प्रथम पक्ष अपिरहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा, जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा। 						
विषयक	. उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली, 2016 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी रिथति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।					
प्रथम पक्षः	हस्ताक्षर	द्वितीय पक्षः	हस्ताक्षर			
	नाम		नाम व पदनामं			
	पिता / पति का नाम		पिता / पति का नाम			
	पता		чता			
साक्षी सं0-1	१ हस्ताक्षर	साक्षी सं0-2	हस्ताक्षर			
	नाम	Post in the second	नाम व पदनाम			
	पिता/पति का नाम		पिता/पति का नाम			
	पता		पता			
- 63						

(रू0 10/- के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथपत्र

समक्ष-सक्षम आधकारा		
	уя	वर्ष (लगमग)
निवासी (स्थाई पता)		
शपथपूर्वक ब	ायान करता हूँ:-	
 यह कि शपथी उपरोक्त पते का स्था स्थाई पता नहीं है। 	ई निवासी है और उपरोक्त पते के	अतिरिक्त उसका कोई और दूसरा
2. यह कि शपथी	गति का है जिसकी उपजाति	है।
3. यह कि शपथी की समस्त स्रोतों से कु		
	है।	
4. शपथी द्वारा प्रस्तुत आय-प्रमाण पत्र व		सही हैं और उक्त तथ्य गलत पाये
जाने की दशा में शपथी की जिम्मेदारी		
5. यह कि (छात्र/छात्रा का नाम)	शपथी क	
में (प्रथम / द्वितीय / त		
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है।		
	1	शपथी
	T-11112	रापवा
*	कि मेरे निजी ज्ञान में इस शपथ प	न के गुज़्तर 1 नगागत है में शंकित
सभी जानकारियाँ एवं कथन सत्य हैं और		
	को अपने हस्त	तादार क्षारा न इस रामण मन मन
सत्यापित करता / करती हूँ।		
		शपथी
स्थाम-		रायला
दिनाँक-		